महत्वपूर्ण/सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या: 5/2021/1226 /49-3-2020-15/2018

प्रेषक:

संदीप कौर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 13 अप्रैल, 2021

विषय: मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत रबी विपणन वर्ष 2021-22 में लक्ष्य से अधिक गेहूँ खरीद हेतु यू.पी.एस.एस. के पक्ष में ₹ 300.00 करोड़ की शासकीय गारण्टी उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

च
महोदय,

कृपया शासन के पत्र संख्या: 1223/49-3-2021-15/2018, दिनांक 12.04.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा कतिपय शर्तों का उल्लेख करते हुए मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत रबी विपणन वर्ष 2021-22 में लक्ष्य से अधिक गेहूँ खरीद हेतु उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि0 के पक्ष में ₹ 300.00 करोड़ की धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दी गयी सहमति में अंकित तथ्यों के आधार पर बैंकों द्वारा निर्धारित ब्याज सहित ऋण के रूप में प्राप्त करने हेतु शासकीय गारण्टी उपलब्ध करायी गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण के संदर्भ में मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत रबी विपणन वर्ष 2021-22 में लक्ष्य से अधिक गेहूँ खरीद हेतु यू.पी.एस.एस. के पक्ष में ₹ 300.00 करोड़ की धनराशि की शासकीय गारण्टी राष्ट्रीयकृत बैंक से ब्याज पर ऋण के रूप में प्राप्त करने हेतु स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु गारण्टी एग्रीमेण्ट मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित है।

उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया जाता है कि जिस बैंक से उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि0 द्वारा ऋण लिया जायेगा, उसके पक्ष में संघ द्वारा एस्क्रो खाता खोला जायेगा तथा भारतीय खाद्य निगम को गेहूँ का विक्रय करने से प्राप्त धनराशि उक्त एस्क्रो खाते में जमा की जायेगी। एस्क्रो खाते में जमा धनराशि से ऋण की अदायगी समय से सुनिश्चित की जायेगी।

कृपया प्रकरण में उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन तथा तद्नुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

उक्त शासनादेश भौतिक रूप से दिनांक 13.04.2021 को पूर्व में निर्गत कर दिया गया है, अत: इस शासनादेश को उक्त के क्रम में यथावत् पढ़ा जाय।

संलग्नक-यथोपरि(मूलरूप में)।

भवदीया,

संदीप कौर
विशेष सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या: 5/2021/1226 (1)/49-3-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) इण्डियन बैंक (इलाहाबाद बैंक), लार्ज कारपोरेट ब्रांच, हजरतगंज, लखनऊ।
(2) आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0, लखनऊ।

आज्ञा से,

संदीप कौर
विशेष सचिव।

h tp:// hasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।